न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 162/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/251

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी डोलीकंला तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.धेवरराम पुत्र लालाराम 2.कनीराम पुत्र मंगलाराम 3.धेवरराम पुत्र बस्ताराम 4.चंदाराम पुत्र बस्ताराम जाति मेघवाल निवासी डोलीकंला तहसील कल्याणपुर 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर 6.हल्का पटवारी डोली

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत,अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री करणसिह सोलंकी,अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 04
3. विप्रार्थी संख्या 5 व 6 अनुपस्थित।

:–आदेश:–

दिनांक 13.05.24

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम डोली कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 185 व 224 कुल क्षेत्रफल 1.5681 हैक्टयर व ग्राम डोली राजगुरो तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 557 व 609 कुल क्षेत्रफल 1.1898 हैक्टयर [illegible] संख्या 617,876/617 कुल क्षेत्रफल 1.8130 हैक्टयर भूमि प्रार्थी [illegible] में [illegible] है। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर वारिसान के आधार पर प्रार्थी व विप्रार्थी [illegible] को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए,जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम के स्थान पर धरेलू बोलचाल भाषा में मोहनराम पुत्र लालाराम दर्ज किया गया तथा खसरा संख्या 609 व 557 में प्रार्थी की जाति भांबी दर्ज की गई। जो कि अशुद्व राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टिया इन्द्राज की गई है। अत: प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि मोहनराम पुत्र लालाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

[illegible] महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम जाति मेगवाल इन्द्राज करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या 01 से 4 की ओर से प्रार्थी के आवेदन–पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए जरिए अधिवक्ता इकबाली जबाव पेश किया। विप्रार्थी संख्या 05 व 06 की ओर से जवाब पेश किया गया। उक्त बहस विप्रार्थी संख्या 5 व 6 अनुपस्थित रहे।

3.उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम डोली कला तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 185 व 224 कुल क्षेत्रफल 1.5681 हैक्टयर व ग्राम डोली राजगुरो तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 557 व 609 कुल क्षेत्रफल 1.896 हैक्टयर एंव खसरा संख्या 617,876/617 कुल क्षेत्रफल 1.8130 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि में अवस्थित है। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर वारिसान के आधार पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए,जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम के स्थान पर धरेलू बोलचाल भाषा में मोहनराम पुत्र लालाराम दर्ज किया गया तथा खसरा महेन्दकुमार पुत्र लालाराम जाति मेगवाल है। लेकिन अशुद्व प्रविष्टि मोहनराम इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्दकुमार के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में अशुद्व नाम मोहनराम पुत्र लालाराम जाति भांबी के स्थान पर महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम जाति मेगवाल इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावे।

5.विप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने दौराने बहस निवेदन है कि विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम मोहनराम इन्द्राज हो रखा है,जबकि वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार है। प्रार्थी का विवादित भूमि में मोहनराम के स्थान पर महेन्द्रकुमार जाति मेगवाल नाम शुद्व इन्द्राज किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपत्ति नहीं है।

6.**हमनें** उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। [illegible] डोली कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 185 व 224 कुल क्षेत्रफल 1.5[illegible] हैक्ट[illegible] ग्राम डोली राजगुरो तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या [illegible] हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज है तथा ग्राम डोली राजगुरो की खसरा संख्या 617,876/617 कुल क्षेत्रफल 1.8130 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र लालाराम इन्द्राज हो रखा है तथा खसरा संख्या 609 व 557 में अशुद्व नाम के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.07.01 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अशुद्व जाति भांबी इन्द्राज है। तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि मे प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम जाति मेगवाल रेकर्ड में इन्द्राज होनी चाहिए। इसी प्रकार विवादित भूमि के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने भी प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया तथा स्वीकार किया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम जाति मेगवाल है,रेकर्ड में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखा है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य यथा–जन आधार कार्ड प्रति,आधार कार्ड प्रति,वोटर कार्ड प्रति,जॉब कार्ड प्रति व बैक खाता डायरी में प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार अंकन है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं दस्तोवजी साक्ष्य सबूतो से प्रमाणित है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्व नाम मोहनराम इन्द्राज हो रखा है,जो प्रार्थी सही नाम महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम जाति मेगवाल इन्द्राज करवानें का हकदार है। प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपनी अशुद्व प्रविष्टि मोहनराम पुत्र लालाराम जाति भांबी के स्थान पर वास्तविक नाम महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम जाति मेगवाल दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–डोली कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 185 व 224 कुल क्षेत्रफल 1.5681 हैक्टयर व ग्राम डोली राजगुरो तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 557 व 609 कुल क्षेत्रफल 1.1898 हैक्टयर एंव खसरा संख्या 617,876/617 कुल क्षेत्रफल 1.8130 हैक्टयर भूमि में अशुद्व प्रविष्टि मोहनराम पुत्र लालाराम जाति भांबी के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि महेन्द्रकुमार पुत्र लालाराम जाति मेगवाल दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) ✱ बालोतरा ✱

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.01 16:12:02 IST
Reason: Self Attested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 13.05.2024को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा